

## कार्यालय—जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया(म0प्र0)

क्रमांक 14 पृष्ठ(4) तीन-03-03/2018

उमरिया, दिनांक 13/08/2021

### नीलामी सूचना—“प्रकाशनार्थ”

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमरिया के निम्नानुसार वाहन, जहां है जिस स्थिति में हैं, के विक्रय हेतु खुले रूप में नीलामी द्वारा विक्रय हेतु सूचना प्रकाशित की जाती है।

| क्र0 | कार्यालय का नाम                | वाहन का क्र0 | मॉडल वर्ष | वाहन का प्रकार | निर्धारित आफसे प्राईज |
|------|--------------------------------|--------------|-----------|----------------|-----------------------|
| 1    | जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमरिया | MP02-6278    | 2002      | एमबेस्डर       | 35,000/-              |

### नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी शर्तें निम्नानुसार होगी:-

1. वाहन जहां है जिस हालत में है लिया जावेगा।
2. बोलीदार को वाहन की धरोहर राशि रूपये 5000/- (पांच हजार रूपये) नजारत अनुभाग जिला न्यायालय उमरिया में नीलामी/बोली के पूर्व नकद जमा करना अनिवार्य होगा, जिस व्यक्ति के द्वारा धरोहर राशि जमा किया जावेगा वही, व्यक्ति बोली में भाग ले सकेगा। बोली स्वीकृति नहीं होने की दशा में धरोहर/अमानत राशि वापसी योग्य होगी।
3. वाहन की स्थिति का जायजा आवेदक लेना चाहता है तो कार्यालय प्रमुख से जानकारी प्राप्त कर अवलोकन किया जा सकता है, इच्छुक व्यक्ति कार्यालय समय में वाहन का अवलोकन कर सकते हैं।
4. इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग लेने हेतु इस कार्यालय में दिनांक 28.08.2021 को दोपहर 2.00 बजे तक अमानत राशि जमा कर बोली में भाग ले सकते हैं। दिनांक 28.08.2021 को ही सायं 03:00 बजे से बोली प्रारम्भ की जावेगी।
5. जिस व्यक्ति की अधिकतम बोली स्वीकार की जावेगी, उसे नीलामी के दिन तत्काल 25 प्रतिशत एवं शेष राशि 3 दिवस के अंदर कार्यालय प्रमुख के पास नगद जमा करनी होगी। तत्पश्चात् ही वाहन की डिलेवरी दी जावेगी।
6. बोलीदार द्वारा लगाई गई बोली को कार्यालय प्रमुख द्वारा किसी भी दशा में स्वीकार/अस्वीकार करने को पूर्ण अधिकार होगा, जिसके लिए किसी भी प्रकार का कोई कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
7. बोली स्वीकृति होने के पश्चात् यदि बोलीदार नियत समय में वाहन डिलेवरी नहीं लेता है तो अमानत राशि वापस नहीं की जावेगी तथा राशि राजसात कर ली जावेगी।

13/08/2021

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
उमरिया(म0प्र0)

पृष्ठा0क्र0 / तीन-03-03/2018

उमरिया, दिनांक /08/2021

### प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त जन सम्पर्क, संचालनालय विज्ञापन शाखा बाधगंगा रोड़ भोपाल की ओर निःशुल्क प्रचार/प्रसार हेतु (एक अतिरिक्त प्रति सहित) प्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, उमरिया की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना जिला न्यायालय उमरिया एवं कार्यालय कलेक्टर उमरिया की नोटिस बोर्ड में चस्पा कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. श्री सुवेद जायसवाल, जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त शासकीय वाहन की नीलामी की विज्ञापित ऑनलाइन प्रकाशित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें।

84/

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
उमरिया(म0प्र0)